फर्दे अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा क्रियान्वित तथा से	विशेष विवरण
	14/2/25	पत्रावली प्राप्त हुई। वाद शीर्ष अधिकार अधिनियम। मूलवाद में 07 R 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत दी मूलवाद के साथ पत्रावली दिनांक 20/02/2025 को प्रस्तुत। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	20/2/25	पत्रावली [illegible] साहब अन्य [illegible] है। अतः पत्रावली [illegible] 6/2/25 को पेश हो।	
	6/3/25	पत्रावली पेश हुई। प्रकीर्ण अभि पक्ष अन्य मूल वाद में प्रार्थी प्रति सं. 15 का प्रार्थना 07 R 11 एवं सी.पी.सी. के अन्तर्गत वाद पत्र निरस्त हो चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वापस आदेशार्थ निरस्त किया जाता है। पत्रावली पक्षकार को वापस किए जाने हेतु प्रकीर्ण दाखिल दफ्तर की जाए। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	